भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा0 सं0 35( )/2013–कार्मिक–I दिनांक :

सेवा में,

_____

_____

_____

विषय : एआरएस/एनईटी (नैट) के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 20 के परिणाम के आधार पर जैव रसायन (बॉयोकैमस्ट्री) विषय में कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) में वैज्ञानिक के रूप में नियुक्ति से संबंधित।

महोदय,

अध्यक्ष, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आपको कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल (एएसआरबी) द्वारा कृषि अनुसंधान सेवा/एनईटी (नैट) के लिए आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा–2011 के परिणामों के आधार पर वेतनमान रू0 15,600–39,100 के साथ अनुसंधान ग्रेड–पे रू0 6000/– में वैज्ञानिक (परिवीक्षा) के रूप में कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) में सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

2. आपकी नियुक्ति कृषि अनुसंधान सेवा की सेवा शर्तों, भा.कृ.अ.प. सोसायटी के नियमों तथा उप–विधि तथा परिषद के समय–समय पर संशोधित अन्य विनियमों के अनुसार संचालित होंगी। भा.कृ.अ.प. ने यथावश्यक परिवर्तन सहित समस्त सेवा और पेंशन मामलों के लिए भारत सरकार के नियम और विनियमों का अनुसरण किया है।

3. यह नियुक्ति प्रस्ताव निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के तहत संचालित होगा :–

i) पद का वेतनमान पे बैंड रू0 15600–39100 + अनुसंधान ग्रेड–पे रू0 6000/– है। आपका वेतन न्यूनतम में निर्धारित किया जाएगा अर्थात रू0 15600 + आरजीपी रू0 6000/–।

ii) यदि आपके पास एम. फिल/एम. टैक/एमएससी (एग्री0)/एमवीएससी/एमएफएससी डिग्री (चार वर्ष स्नातक के साथ दो वर्ष स्नातकोत्तर कार्यक्रम) है तो आप दो गैर–संयोजित (नौन कंपाउंडिउ) अग्रिम वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

iii) यदि आपके पास विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री है और इसमें भा.कृ.अ.प. द्वारा निर्धारित पंजीकरण, पाठ्यक्रम तथा बाहरी मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है तो आप पांच गैर–संयोजित (नौन कंपाउडिड) वेतन वृद्धि के पात्र होंगे।

iv) पशु चिकित्सा विज्ञान (बीवी एससी/एमवीएससी) उपाधि धारक चयनित उम्मीदवार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ओएम सं0 7(19)/2008–ई–III (ए) दिनांक 30.8.2008 के अनुसार पैक्टीसबंदी भत्ता (एनपीए) के हकदार होंगे।

4. आप नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा (प्रोबेशन) के तहत रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक से बढ़ाया जा सकता है। आपको फांउडेशन कोर्स प्रशिक्षण के लिए नार्म, हैदराबाद में रिपोर्ट करना अपेक्षित है। प्रशिक्षण में असफल होने या सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार परिवीक्षा अवधि पूरा करने में विफल होने की स्थिति में आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है।

5. यदि प्रशिक्षण के दौरान आप भा.कृ.अ.प. कार्मिक होने के नाते किसी दुराचार या कहीं दोषी पाए जाते हैं तो प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने से पहले आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।

6. आपके अपनी नियुक्ति की तिथि से कम से कम चार वर्ष परिषद में सेवा करने के लिए संलग्न प्रोफार्मा में एक बंध पत्र (बान्ड) भरना होगा इसमें प्रशिक्षण अवधि भी शामिल है, (इसे उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर टाईप किया जाए), ऐसा न करने पर आपको रू0 1.25 लाख (रू0 एक लाख पच्चीस हजार) की राशि को परिषद को ब्याज के साथ लौटाना होगा।

7. सेवा के सदस्य के रूप में आपको भारत में कहीं भी भा.कृ.अ.प. के संस्थान/ब्यूरो/केन्द्र/परियोजना निदेशालय या इसके क्षेत्रीय/उप–केन्द्रों में तैनात किया जा सकता है। आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में देश के पिछड़े या कम विकसित या दूरवर्ती क्षेत्र में काम करना अपेक्षित है।

8. परिषद द्वारा आपको संचालन जरूरत के अनुसार केन्द्र या राज्य सरकार, राज्य कृषि विश्वविद्यालय या अन्य कहीं भी (विदेश में स्थित कार्यभार सहित) कार्य के लिए तैनात किया जा सकता है।

9. नियुक्ति होने पर आपको निर्धारित फार्म में अपनी वैवाहिक स्थिति (मार्शियल स्टेटस) की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। यदि आपके एक से ज्यादा पति या पत्नी जीवित हैं, या पहले विवाह द्वारा जीवित पति या पत्नी के जीवन के दौरान दूसरे विवाह के लिए सम्पर्क करते हैं/ ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करते हैं जिसके पहले से ही एक पति या पत्नी हैं/ या ज्यादा पति या पत्नी जीवित हैं, आपकी नियुक्ति को इस संबंध में अपेक्षित शर्त के लागू होने से छूट प्रदान की जाएगी।

10. आपकी नियुक्ति अंतिम (प्रोविजनल) है जब तक कि आपकी जाति/जनजाति प्रमाण–पत्र का प्रमाणीकरण उचित माध्यम द्वारा कर दिया जाए यदि सत्यापन में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित दावा है या यह (क्रीमी–लेयर) नवोन्त वर्ग से संबंधित नहीं है, जैसा भी मामला है, यह झूठा है ऐसी स्थिति में बिना कोई कारण बताएं और झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत अग्रिम कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बगैर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

11. नियुक्ति पर आपको भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा/विश्वास की शपथ लेनी होगी या आपने यह नहीं किया है तो आपको निर्धारित फार्म में इस प्रकार का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान प्रस्तुत करना होगा।

12. आपको संलग्न प्रोफार्मा में इस बारे में वचनबद्धता देनी होगी कि भा.कृ.अ.प. में आपकी सेवा के दौरान आपके द्वारा खोज और अन्वेषण से संबंधित पेटेंट अधिकार और आपके द्वारा तैयार की जाने वाली प्रक्रियाओं की तकनीकी और इंजीनियरिंग जानकारी पर भा.कृ.अ.प. का अधिकार होगा।

13. यदि आपके द्वारा की गई घोषणा का सूचना (कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज/शंसा पत्र (टेस्टीमोनियल) आदि यह आचरण या पात्रता से संबंधित है) असत्य सिद्ध होती है या यह पाया जाता है कि आपने जानबूझकर कोई सूचना छिपाई है, ऐसी स्थिति में आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और इस संबंध में उचित कार्रवाई भी की जाएगी। आपको अपने पिछले नियोक्ता (एम्पलोयर) या संस्थान से जहां आप एआरएस में नियुक्ति से पहले उपस्थित थे, अपना चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा।

14. आपकी चरित्र एंव पूर्ववत (सीएंडए) सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक आपकी नियुक्ति अस्थाई आधार पर होगी। यदि आपकी चरित्र एवं पूर्ववत सत्यापन रिपोर्ट उचित नहीं पाई गई तो आपकी सेवा बर्खास्त कर दी जाएगी।

15. आपको सूचित किया जाता है कि जब तक आप आरंभिक तैनाती स्थान पर कम से कम पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि पूरी नहीं करेंगे आपको स्थानांतरण अनुरोध की अनुमति नहीं होगी। यदि परिषद को आपका या आपकी ओर से किसी अन्य का स्थानांतरण संबंधी अनुरोध प्राप्त होता है तो परिषद द्वारा इस शर्त का उल्लंघन माना जाएगा और परिषद परिवीक्षाधीन नियुक्ति आमंत्रण को वापस लेने/बर्खास्त करने/बिना किसी संदर्भ के विभागीय जांच शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगी।

यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो आपको निर्देश दिया जाता है कि आप तीन माह प्रशिक्षण जिसमें एक माह खेत अनुभव प्रशिक्षण (एफईटी) शामिल है, के लिए एआरएस (एफओसीएआरएस) हेतु 97 फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (नार्म); राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500030 (आंध्र प्रदेश) में दिनांक को रिपोर्ट करें।

इसके बाद आपको अपने तैनाती संस्थान में एक माह का ओरियंटेशन प्रशिक्षण करना होगा और आपके तैनाती वाले संस्थान के निदेशक द्वारा पहचाने गए मुख्य संस्थानों/प्रयोगशालाओं/प्रोफेसर/वैज्ञानिकों के तहत अनुसंधान क्षेत्र में तीन माह का व्यवसायिक संलग्नता (प्रोफेशनल अटैचमेंट) प्रशिक्षण एफओसीएआरएस के मॉडल के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा।

आपको सलाह दी जाती है कि आप एक या दो दिन पहले नार्म, हैदराबाद पहुंच जाएं जिससे आपको या नार्म प्राधिकारियों को कोई असुविधा न हो। यदि आप निर्धारित प्रशिक्षण में शामिल होने में विफल होते हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त माना जाएगा और आगामी सूचना दिए बगैर इसे रद्द कर दिया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप रिपोर्टिंग के समय नार्म, हैदराबाद को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें जैसे आयु का प्रमाण, शैक्षणिक अर्हताएं आदि।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपको सेवा में सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है।

भवदीय
ह0/–

उप सचिव (कार्मिक)

प्रतिलिपि : निदेशक, नार्म, हैदराबाद को सूचनार्थ।

अनुबंध

अनुसंधान कार्य करने या पर्यवेक्षण में शामिल भा.कृ.अ.प. के कार्मिकों द्वारा वचनबद्धता

मेरी नियुक्ति ..... पर ..... में होने के फलस्वरूप, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001 (वर्ष 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी) की संघटक इकाई है, इसके बाद इसे 'द कांउसिल' (परिषद) के रूप में संदर्भित किया जाएगा, और उक्त परिषद द्वारा मुझे दिए जाने वाले वित्तीय और अन्य सहायता पर भी विचार किया है, मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ....., सहमत हूं और निम्नलिखित घोषणा करता हूं।

1. मैं परिषद में अपनी सेवा के दौरान मेरे द्वारा की गई प्रगति और अन्वेषण (बाद में इसे 'द सैड इन्वेस्टीगेशन' (उक्त अन्वेषण) के रूप में संदर्भित किया जाएगा) का प्रकटन समय–समय पर परिषद या परिषद द्वारा निर्देशित किसी पदाधिकारी को करूंगा और यदि इस सेवा की समाप्ति (टर्मीनेशन) के तीन वर्ष बाद मैं कोई ऐसी खोज करता हुं जो 'उक्त अन्वेषण' से संबंधित है या इससे उत्पन्न हुई है तो यह परिषद की ओर से मानी जाएगी और इसे तुरंत परिषद को या परिषद द्वारा निर्देशित पदाधिकारी को अवगत कराऊंगा, उक्त आविष्कार का पूरा और सम्पूर्ण विवरण तथा स्वरूप के बारे में और यह कैसे संचालित होगा इस बारे में अवगत कराया जाएगा।
2. परिषद को इन्हें कहीं और प्रकाशित होने से पहले अपने जर्नल में उक्त अन्वेषण के परिणामों को प्रकाशित करने का एकाधिकार होगा। मैं परिषद की पूर्व अनुमति के बगैर इन अन्वेषणों के परिणामों को प्रकाशित नहीं करूंगा।
3. परिषद के तहत मेरी सेवा के दौरान या सेवा समाप्ति के तीन वर्ष बाद उक्त अन्वेषण और इसकी समस्त प्रगति/सुधार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उक्त अन्वेषण या इसकी प्रगति से संबंधित इस आरक्षण की शर्त के साथ परिषद मुझे इसके लाभ की अनुमति अपने विवेक से प्रदान करेगी जो पूरी तरह से परिषद की संपत्ति होगी।
4. जब भी परिषद को आवश्यकता होगी मैं परिषद के खर्च पर परिषद में कार्यभार ग्रहण (ज्वाईन) करूंगा या परिषद के अनुरोध और परिषद की लागत पर उक्त आविष्कार या इसके बाद के उन्नत सुधार के संबंध में भारत और अन्य देशों में पेटेंट दर्ज कराने के आवेदन में जैसा भी परिषद द्वारा निर्देश दिया जाएगा उसका अनुसरण करूंगा तथा परिषद या इस संबंध में परिषद द्वारा नियुक्त कार्मिक के तहत तथा उक्त आविष्कार और सुधार तथा अन्य पेटेंट पत्र जो इस संबंध में प्राप्त किया जाना हो, के बारे में समस्त संबंधित निर्देशों और अनिवार्य विधियों का अनुसरण करूंगा।

मेरी नियुक्ति का विवरण और जन्म तिथि नीचे दी गई है :–

(क) नियुक्ति की तिथि _____ तथा पत्र का विवरण

(ख) जन्म तिथि _____

वर्ष 2013 के _____ माह _____ तिथि _____ को _____ हस्ताक्षर किए गए।

(उम्मीदवार/कार्मिक के हस्ताक्षर)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन : नई दिल्ली

विषय : श्री/श्रीमती/डॉ0_____ को भा.कृ.अ.प. की सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम प्रदान करना।

श्री/श्रीमती/डॉ0 _____ भा.कृ.अ.प. ने _____ रू0 (रूपये _____ _____) के अग्रिम के लिए अपने/अपनी सामान्य भविष्य निधि के लेखा से _____ _____के संबंध में आवेदन किया है। श्री/श्रीमती/डॉ0 _____ के अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा में _____ रू0 शेष हैं तथा उनका मूल वेतन _____ रू0 है।

नियमों के अन्तर्गत, सामान्यतः 3 महीने के वेतन अथवा निधि में शेष आधे से अधिक का अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जाता। तथापि यदि सक्षम प्राधिकारी मामले की विशेष परिस्थितियों से सन्तुष्ट हो तो सामान्य सीमाओं से अधिक अग्रिम अर्थात 3 महीने से अधिक वेतन अथवा उनकी निधि में शेष आधे से अधिक अग्रिम स्वीकार किया जा सकता है। इस मामले में _____ विशेष परिस्थितियां हैं तथा उनके प्रथागत उपयोग के लिए व्यय अनिवार्य है। अतः आहरण एवं संवितरण अधिकारी (रोकड़) कृपया _____ _____ रू0 अग्रिम राशि श्री/श्रीमती/डॉ0/ _____ को विशेष मामले के रूप में प्रदान करने की स्वीकृति दें।

श्री/श्रीमती/डॉ0 _____ से _____ बराबर मासिक किस्तों में _____ रू0 प्रत्येक माह के हिसाब से वसूल किये जायेंगे।

संबंधित सहायक

अनुभाग अधिकारी

अवर सचिव (रोकड़)

form

वह उम्मीदवार जो प्रतिस्पर्धी परीक्षा द्वारा कृषि अनुसंधान सेवा में नियुक्त हुआ है उसके द्वारा कार्यन्वित किए जाने वाला जमानत वचन बंध–पत्र का फार्म और उनका/उनकी जमानत (कृषि अनुसंधान सेवा नियम के नियम 13(2) तथा 13(3) के तहत)

सभी की जानकारी में यह प्रस्तुत करता हुँ कि मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....
.....निवासी.....
.....जिला.....राज्य.....वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुआ हुं (इसके बाद इन्हें आबन्धक के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....
.....और श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री .....निवासी .....
(पुरा पता) (इन्हें बाद में जमानती के रूप में संदर्भित किया जाएगा) एतत्द्वारा संयुक्त रूप से तथा अपने पूर्ण विश्वास और अपने संबंधित उत्तराधिकारियों प्रबंधक तथा प्रशासक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 में स्थित है (इसे बाद में आईसीएआर के रूप में संदर्भित किया जाएगा), की मांग पर रू0 1,25000/– (रूपए एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के साथ उस समय की सरकारी ऋण पर लागू ब्याज दरों के अनुसार समेकित राशि को (यदि भुगतान भारत से बाहर के देश में किया जाना है तो उस देश और भारत के बीच मुद्दा के परिवर्तन की सरकारी दर के अनुसार उक्त राशि जमा की जाएगी) जमा किया जाएगा तथा इसके साथ एटार्नी और उपभोक्ता के बीच सभी लागत और इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा व्यय या होने वाले व्यय की राशि भी इसमें शामिल होगी।

जबकि आभारी (आब्लिजर) वर्ष.....में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के तहत सोसायटी की कृषि अनुसंधान सेवा में वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुआ है।

जबकि भा,कृ,अ,प, के बेहतर सुरक्षा के लिए, आभारी (आब्लीजर) इस वचन बंध–पत्र को इसमें लिखित इन शर्तों के साथ कार्यान्वित करने के लिए समहत है।

और जबकि उक्त जमानती उपरोक्त वचनबद्धकर्ता (बाउंडेन) की ओर से इस वचनबद्ध को जमानती के रूप में कार्यान्वित करने के लिए सहमत हैं।

अब उक्त लिखित बाध्यता की शर्त यह है कि यदि उक्त नामित आभारी (ओब्लीजर), श्री/श्रीमती/कुमारी .....प्रतियोगी परीक्षा परिणाम के आधार पर कृषि अनुसंधान सेवा में वैज्ञानिक के रूप में नियुक्ति के बाद चार वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी करने से पहले या सेवा से अपने बर्खास्त या निष्कासन के बगैर, त्यागपत्र या सेवा छोड़ने पर, आभारी (ओब्लीजर), और/या जमानती भा.कृ.अ.प. को संयुक्त या अलग–अलग रूप में भा.कृ.अ.प. की मांग पर भा.कृअ.प. को रू0

1,25000/– रूपए एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की राशि का भुगतान उस समय सरकारी ऋण पर लागू सरकारी ब्याज दरों के साथ बयाज सहित लिया जाएगा।

आभारी (ओब्लिजर) श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा ..... द्वारा उक्त प्रतिबद्ध भुगतान करने की छुट और यदि निष्प्रभावित किया जाता है यह हमेशा अपनी मूल अवधारण के साथ लागू रहेगा।

बशर्ते कि इसमें हमेशा यह उल्लेखित है कि जमानती की इसके तहत जमानती की जिम्मेवारी को कम किया है या दिए गए समय के कारण निर्वहन न करना या कोई अन्य तरीके से अलग रहना, भा.कृ.अ.प. या इनके द्वारा अधिकृत कार्मिक के निर्देश की अनदेखी (चाहे यह जमानती कर सहमति या जानकारी के बगैर या इसके साथ किया है।) भा.कृअ.प. के लिए यह जरूरी नहीं है कि जमानती श्री/श्रीमती/कुमारी..... .....और श्री/श्रीमती/कुमारी.....पर मुकदमा चलाने से पहले ओब्लिजर (आभारी) पर मुकदमा चलाए या इनमें से किसी एक पर इसमें देय राशि के लिए मुकदमा चलाए।

यह बंध पत्र जहां जरूरी होगा उस समय लागू भारतीय कानून के तहत संचालित होगा और अधिकार तथा देयतांए इसके तहत तदनुसार भारतीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

हस्ताक्षरित तथा दिन.....माह.....का दिवस..... .....2013/2014.....को हस्ताक्षरित तथा आभारी श्री/श्रीमती/कुमारी..... .....द्वरा इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षरित.....

गवाह :

(हस्ताक्षर,नाम एवं पता)

1.

2.

उक्त नामित श्री/श्रीमती/कुमारी.....जमानती द्वारा हस्ताक्षरित और डिलीवर..... की उपस्थिति में

गवाह :

(हस्ताक्षर,नाम एवं पता)

1.

2.

उक्त नामित श्री/श्रीमती/कुमारी .....जमानती द्वारा हस्ताक्षरित ....की उपस्थिति में

गवाह :

(हस्ताक्षर,नाम एवं पता)

1.

2.

- (विवाहित महिला उम्मीदवार के मामले में इनके पति के नाम को ....के पति,रूप में दर्शाया जाए।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi110 001

फा0 सं0 दिनांक :

विषयः एआरएस परीक्षा – वर्ष 2012

महोदय,

उपरोक्त परीक्षा के संदर्भ में, मैं आपको अवगत कराता हूं कि सेवा शर्तों के अनुसार वैज्ञानिक के पद पर नियुक्ति सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थ (मैडीकली फिट) घोषित किए जाने के बाद होगी। अतः एआरएस में वैज्ञानिक पद पर आपकी नियुक्ति से पहले आपसे अनुरोध है कि अपने जिले या आवास के नजदीकी स्थान के सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक सिविल सर्जन से सम्पर्क करें और सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा अपेक्षित चिकित्सा जांच करवाएं। इस प्रयोजन हेतु आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सिविल सर्जन/को मूल पत्र (चिकित्सा प्राधिकारी को संबोधित) के साथ विधिवत रूप से पूर्ण अपना विवरण/घोषणा और दो पासपोर्ट आकार के फोटो (विधिवत सत्यापित) प्रस्तुत करने होंगे और चिकित्सा प्राधिकारी के निर्देशानुसार अपनी चिकित्सा जांच कराने की प्रक्रिया का अनुसरण करें।

यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सा जांच की रिपोर्ट अवर सचिव (कार्मिक), कमरा सं0 220, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, डा0 राजेन्द्र प्रसाद रोड, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 को इस पत्र की प्राप्ति के बाद 30 दिनके अन्दर भेजी जाए अन्यथा आपकी उम्मीदवारी को समाप्त और रद्द माना जाएगा और इस बारे में आगामी कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

कृपया यह नोट करें कि यह पत्र नियुक्ति आमंत्रण नहीं है और न ही इसका तात्पर्य यह है कि आप कृषि अनुसंधान सेवा के तहत वैज्ञानिक पद पर नियुक्ति के लिए बाध्य हैं और इसके साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि चिकित्सा जांच के संबंध में की गई यात्रा के लिए किसी तरह के यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

चिकित्सा जांच पूरी होने पर आपको चिकित्सा जांच करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का पता तथा जांच की तिथि के बारे में अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

इसके अलावा आपसे अनुरोध हे कि एआरएस कार्यग्रहण के लिए अपनी सहमति भेजें तथा पत्र की प्राप्ति के सात दिन के अन्दर अवगत कराएं कि आप नियुक्ति प्रस्ताव की प्राप्ति पर तुरंत कार्यग्रहण करेंगे या आप पीएचडी पूरा करने के लिए कार्यग्रहण समयावधि बढ़ाना चाहते हैं। समयावधि बढ़ाने से संबंधित दिनांक 1.10.2009 से लागू नवीनतम दिशानिर्देश की प्रति तत्काल संदर्भ हेतु संलग्न है। इस सूचना को निर्धारित समय सीमा में अवश्य भेजा जाए।

इस पत्र की पावती तुरंत भेजें तथा अपना सम्पर्क टेलीफोन/मोबाइल नम्बर भी उपलब्ध कराएं।

भवदीय

ह0/–

form

(वी.के. शर्मा)
अवर सचिव (कार्मिक)

form